

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

डॉ. सूरज सिंह नेगी

आर.ए.एस.

तारीख निर्णय

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

83/2023/प्रा.पत्र/2023

03.08.2023

17.11.2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री घनश्याम दास अग्रवाल पुत्र श्री फूलचन्द अग्रवाल निवासी नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स लखमी चन्द फूलचन्द नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक
- 2-मैसर्स लखमी चन्द फूलचन्द नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक
- 3-श्री रामगोपाल केडिया निवासी दीनानाथ जी की गली चांदपोल बाजार जयपुर राज. प्रोपरायटर मैसर्स गोपाल ट्रेडिंग कम्पनी आई-18 सूरजपोल मण्डी जयपुर राज.
- 4-मैसर्स गोपाल ट्रेडिंग कम्पनी आई-18 सूरजपोल मण्डी जयपुर राज.
- 5-श्री आशीष प्रसाद पुत्र श्री दयानन्द प्रसाद निवासी 1/82 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी शान्ति कुंज अलवर राज. नॉमिनी मैसर्स विजय सोलवेक्स लिमिटेड रजि. ऑफिस:- भगवती सदन स्वामी दयानन्द मार्ग अलवर राज./फैक्ट्री पता-पुराना इण्डस्ट्रीयल एरिया, ईटारना रोड अलवर राज.
- 6-मैसर्स विजय सोलवेक्स लिमिटेड रजि. ऑफिस:- भगवती सदन स्वामी दयानन्द मार्ग अलवर राज./फैक्ट्री पता-पुराना इण्डस्ट्रीयल एरिया, ईटारना रोड अलवर राज.

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा
26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-समस्त अप्रार्थीगण की ओर से श्री अवनी दीप शर्मा उपे।

:-निर्णय:-

दिनांक 17.11.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.03.2023 को समय 01:00 पीएम पर मैसर्स लखमी चन्द फूलचन्द नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां श्री घनश्याम दास अग्रवाल पुत्र श्री फूलचन्द अग्रवाल मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री घनश्याम दास अग्रवाल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।



आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दुकान में कागज के कार्टून में लगभग 200 नग पैकड अवस्था में प्रत्येक नग 500-500 एम.एल. पैक वनस्पति (स्कूटर ब्राण्ड) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री घनश्याम दास अग्रवाल को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री घनश्याम दास अग्रवाल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह वनस्पति (स्कूटर ब्राण्ड) जिसके बैच नम्बर 300 एवं पैकिंग की दिनांक 31 दिसम्बर 2022 थी, वास्ते नमूना जांच क्य किया जा रहा है, 500-500 एम.एल. के 4 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा वनस्पति (स्कूटर ब्राण्ड) 500-500 एम.एल. के 4 मूल पैक को ज्यों का त्यों एक-एक नग को कागज के गत्ते के 4 डिब्बों में रखकर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3475 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3475 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री घनश्याम दास अग्रवाल पुत्र श्री फूलचन्द अग्रवाल मैसर्स लखमी चन्द फूलचन्द नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स गोपाल ट्रेडिंग कम्पनी आई-18 सूरजपोल मण्डी जयपुर राज. का वारन्टी बिल पेश किया। आवेदक द्वारा मैसर्स गोपाल ट्रेडिंग कम्पनी से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स विजय सोलवेक्स लिमिटेड रजि. ऑफिस:- भगवती सदन स्वामी दयानन्द मार्ग अलवर राज. का वारन्टी बिल प्रेषित कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्य करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/645 दिनांक 17.03.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस. /537/एक्ट/2023/599 दिनांक 09.03.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्य किया गया वनस्पति (स्कूटर ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम



2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से निर्माता फर्म के प्रतिनिधि श्री अवनी दीप शर्मा स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की भिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारियां अंकित नहीं होने के कारण यह मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस वनस्पति (स्कूटर ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि एवं परोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया वनस्पति (स्कूटर ब्राण्ड) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रुपये 30,000/- (अक्षरे तीस हजार रुपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 17.11.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्यायाधिकार क्षेत्र में न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0